vinetur

स्कॉच व्हिस्की शुल्क विवाद सुलझाने के लिए भारत की कोशिश, कुछ ही दिनों में समाधान की उम्मीद

सीमा शुल्क वर्गीकरण विवाद के तहत कुछ थोक आयातों पर 162.5% शुल्क लगाए जाने के बाद, बॉन्ड पर 80 से अधिक कंटेनर छोड़े गए

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



भारत थोक स्कॉच व्हिस्की के आयात पर शुल्क को लेकर विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन ने चिंता जताई थी कि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी दोनों देशों के व्यापार समझौते में तय 75% दर से कहीं अधिक शुल्क लगा रहे हैं।

सोमवार, 23 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को कुछ ही दिनों में समाधान निकलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बंदरगाहों पर रोकी गई खेपों को आयातकों द्वारा बॉन्ड जमा कराने के बाद सीमा शुल्क प्रक्रिया के तहत छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी सलाह ले रही है और साथ ही भारत के अदालती फैसलों तथा व्यापार समझौते के तहत नई दिल्ली की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप चलने की कोशिश कर रही है।

यह विवाद भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की पहली बड़ी परीक्षाओं में से एक बनकर उभरा है। यह समझौता जुलाई में

लागू हुआ था और इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क घटाकर 75% किया गया था। Reuters के अनुसार, भारत अब कुछ थोक स्कॉच आयातों पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगा रहा है। इससे ब्रिटिश निर्यातकों के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश की गई शुल्क कटौती, दोनों सरकारों के बीच तनाव का कारण बन गई है।

विवाद के केंद्र में सीमा शुल्क वर्गीकरण है। भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि कुछ कंपनियां भारत में आयात किए जाने वाले थोक स्कॉच कंसन्ट्रेट के लिए गलत शुल्क श्रेणी का इस्तेमाल कर रही हैं। अधिकारियों की नज़र में ये आयात ब्लेंडेड व्हिस्की जैसे उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल हैं। सरकार का कहना है कि इन पर व्यापार समझौते के तहत उपलब्ध 75% की कम शुल्क दर लागू नहीं भी हो सकती है।

अग्रवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया गया था और शुल्क के बर्ताव से जुड़े भारत के पहले के अदालती फैसलों के कारण व्याख्या में मतभेद पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि समझौते पर चर्चा के समय दोनों पक्षों के वार्ताकारों को कुछ अदालती मामलों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व्यापक व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और समझौते पर फिर से विचार नहीं कर रही है।

Reuters ने बताया कि ब्रिटेन सरकार ने औपचारिक रूप से भारत के सामने यह मामला उठाया है। अग्रवाल ने कहा कि वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जल्द समाधान निकालने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत घरेलू कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए समझौते को निभाने का इरादा रखता है।

सीमा शुल्क विवाद का असर खेपों पर पहले ही पड़ चुका था। अग्रवाल ने कहा कि थोक स्कॉच ले जा रहे कंटेनरों को भारतीय बंदरगाहों से छोड़ दिया गया है। Reuters ने खबर दी थी कि इस रिहाई से पहले Pernod Ricard, Diageo और Bacardi की हजारों लीटर शराब 80 से अधिक शिपिंग कंटेनरों में फंसी हुई थी। Moneycontrol ने बताया कि वर्गीकरण के सवाल पर अधिकारियों के विचार करने के दौरान, बॉन्ड जमा कराने पर सीमा शुल्क प्रक्रिया के तहत माल को बाहर जाने की अनुमति दी गई।

यह मामला शुल्क दरों की तकनीकी व्याख्या से कहीं अधिक अहमियत रखता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिट्स बाजारों में से एक है और आयातित थोक स्कॉच का इस्तेमाल बड़ी पेय कंपनियां देशभर में बिकने वाले ब्रांडों की ब्लेंडिंग और उत्पादन के लिए करती हैं। वर्गीकरण में किसी भी बदलाव से डिस्टिलर और बॉटलर की आयात लागत, कीमतें और आपूर्ति की योजना प्रभावित हो सकती है। इससे यह भी तय हो सकता है कि कंपनियों को भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत तय शुल्क कटौती का वास्तव में कितना लाभ मिलेगा।

इसके असर पूरे पेय कारोबार पर पड़ सकते हैं, खासकर उन कंपनियों पर जिनका भारत में व्हिस्की कारोबार बड़ा है। कम शुल्क को वैश्विक कंपनियों और अपने उत्पादों में आयातित स्कॉच इस्तेमाल करने वाले स्थानीय उत्पादकों के लिए अवसर के रूप में देखा गया था। अगर कुछ आयात कम शुल्क वाली श्रेणी से बाहर रहते हैं, तो अपेक्षित बचत घट सकती है और नियम स्पष्ट होने तक आपूर्ति शृंखलाओं की अनुमानित स्थिरता कम हो सकती है।

व्यापार जगत और ब्रिटेन ने इस समझौते का स्वागत किया था। इसकी एक वजह यह थी कि इससे स्कॉच उत्पादकों को भारत के करीब $65 billion के शराब बाजार तक आसान पहुंच मिलने का वादा किया गया था। Pernod Ricard और Diageo जैसी कंपनियां थोक स्कॉच आयात कर भारत में उसकी ब्लेंडिंग करती हैं और लोकप्रिय ब्रांड बेचती हैं। इसलिए मौजूदा विवाद पर स्पिरिट्स उद्योग और व्यापार अधिकारियों, दोनों की करीबी नज़र है, क्योंकि यह इस व्यावहारिक सवाल से जुड़ा है कि सीमा पर समझौते को किस तरह लागू किया जाएगा।

अग्रवाल ने कहा कि उद्योग के प्रतिनिधि और उनके ब्रिटिश समकक्ष बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठा सकते थे और अगर उन्हें अलग व्यवहार की जरूरत लगती, तो संबंधित शुल्क श्रेणी के तहत रियायत मांग सकते थे। इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि भारतीय पक्ष इस विवाद को, कम से कम आंशिक रूप से, ऐसी कानूनी और तकनीकी बारीकियों से जुड़ी समस्या मानता है जिन पर समझौते को अंतिम रूप देते समय पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया था।

फिलहाल, रोके गए माल को छोड़े जाने से तत्काल दबाव कुछ कम हुआ है। लेकिन व्यापक सवाल अब भी अनसुलझा है : क्या भारत में ब्लेंडिंग के लिए आयात किए जाने वाले थोक स्कॉच कंसन्ट्रेट पर 75% शुल्क लगेगा या उन पर पहले की तरह कहीं अधिक प्रभावी शुल्क जारी रहेगा? इसका जवाब तय करेगा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अहम हिस्सा शराब उद्योग के लिए व्यवहार में कैसे काम करेगा।